अनुसूची–१४ –फारम सं0 ४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0–146/2012

जयप्रकाश यादव,

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 1030 दिनांक 06.11.2010 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री जय प्रकाश यादव, अध्यक्ष प्रा0कृ0सा0 सहयोग समिति, डुमरिया, अनुज्ञप्ति सं0–32/07 सदर प्रखंड, छपरा की दूकान की जॉच अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 21.05.2008 को 12.45 बजे अपराह्न में की गयी थी तथा पायी गयी अनियमितताओं के संदर्भ में अनुमंडल कार्यालय के ज्ञापांक 853/आ0 दिनांक 24.05.2008 से विकेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। विकेता के द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, परन्तु कई स्मार के बावजूद दूकान संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं करने तथा आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में उनकी अन0 सं0–32/07 को इस कर्यालय के आदेश ज्ञापांक 1477, दिनांक 16.09.2008 से निलम्बित कर दी गयी थी। विकेता के द्वारा निलम्बनोपरान्त अपना स्पष्टीकरण एवं दूकान संबंधी कागजात प्रस्तुत किया गया। विकेता के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन के बाद सम्यक् विचारोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1739, दिनांक 26.11.2008 से इन्हें भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी के साथ निलम्बन से मुक्त करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति को अनुशंसित किया गया था। दिनांक 05.09.2009 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में उक्त के संबंध में लिए गए निर्णय जो जिला पदाधिकारी, सारण के ज्ञापांक 62 मु0, दिनांक 07.09.09 से संसूचित है, के आधार	

पर इस कार्यलय के पत्रांक–767, दिनांक 18.09.09 से जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण से वर्ष 2008 में पैक्सों के पुनर्गठन के उपरान्त डुमरिया पैक्स के अस्तित्व के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, के कम में जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण द्वारा एतद् संबंधी अपने पत्रांक 520, दिनांक 12.09.09 की छायाप्रति जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण को प्रेषित था, संलग्न कर अपने पत्रांक 535, दिनांक 19.09.09 से इस कार्यालय को भेजा गया जिसमें डुमरिया पैक्स को अस्तित्व में नहीं होने तथा विभागीय पत्रांक–3044, दिनांक 26.05.08 के आलोक में इसके विघटित होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रा0कृ0सा0 सहयोग, समिति, डुमरिया के विघटित हो जाने तथा उसका अस्तित्व में नही होने की स्थिति में इस समिति के नाम निर्गत सार्व0वि0प्र0 की अनु0 सं0–32/07 को बनाए रखना नियमानुकूल नही है, तथा जन वितरण की अनुज्ञप्ति हस्तान्तरणीय नही है। फलस्वरूप प्र0कृ0स0 सहयोग समिति डुमरिया, सदर प्रखंड छपरा के नाम निर्गत सार्व0वि0प्र0 की अनु0 सं0–32/07 को अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1030, दिनांक 06.11.2010 के द्वारा रद्द कर दी गई।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का वितरण किया जाता है। अपीलार्थी पहले से एक जन वितरण प्रणाली दूकान के विक्रेता थे एवं डुमरिया पैक्स के अध्यक्ष वे बाद में निर्वाचित हुए। असल में, ये दोनों अलग–अलग बिन्दू थे, जिन्हें अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा भूलवश एक मान कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो न्याय संगत नही है एवं खारिज किए जाने योग्य है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश

(ज्ञापांक 1030 दिनांक 06.11.2010) मे कुछ त्रुटि पा कर इसे Set aside करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी को निर्देश है कि उक्त मामले की जॉच कर देख लें कि क्या उक्त दोनों मामले अलग–अलग है या एक ही है। मामले की जॉच कर आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 625 /दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।
15/1/16